

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

क	फर्द अहकाम	
	<p>6/25 पत्रावली पेश हुई। पीएचटी अधिकारी सजाकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश है। 11-8-25</p>	
	<p>8/25 पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक 15-9-25 को पेश हो।</p>	
	<p>15/25 पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने पर भी वादी एवं उनके अधिवक्ता उप. नहीं हुए। अतः मु. नं. 173/17 उनवान रजनी ठनाम कैलाश अरुण पैरुनी अरुण हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तहसील नं. से रम की जाकर दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	